

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम- 129)

वि. वि. म. नं. 44/2019-20
महिला विकास (ग्राम) को. 4

आदेश - पत्रक- ता० से तक

जिला-गढ़वा विविध वाद सं० 44/2019-20

केश का प्रकार- स्थगित मांग को चालू करने के संबंध में।

आदेश पर की
गयी कार्रवाई के
बारे में लिपिपत्री
तारीख सहित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

22/2/20

आवेदक श्री अनिल कुमार पाण्डेय, अरविन्द कुमार पाण्डेय एवं संजय कुमार पाण्डेय पिता-अक्षयवर पाण्डेय ग्राम-पीपरा कला द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि हमलोगों विक्रीनामा वजरिए केवाला ग्राम-पीपरा कला के खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-57 रकबा- 0.16 एकड़ भूमि क्रय किया है। जिसका डिमांड पेज नं० 71/3 में शिव प्रसाद एवं बच्चु प्रसाद का चलता था। यह भूमि शिव प्रसाद का रैयती भूमि है किन्तु बिना कारण दर्शाए तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा डिमांड स्थगित कर दिया गया है। आधे हिस्से का भूमि का डिमांड पूनम देवी के नाम से चलता है।

इस भूमि पर मैं मकान बनाकर क्रय के पश्चात् दखल-कब्जे में हूँ तथा नगर पालिका का रसीद टैक्स भी देता हूँ। यह भूमि निर्विवाद रूप से दखल-कब्जा में है और कोई भी व्यक्ति का कोई आपत्ति नहीं है। डिमांड स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। ग्राम-पीपरा कला के खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-57 रकबा- 0.16 एकड़ भूमि जिसका डिमांड पेज नं० 71/3 में शिव प्रसाद एवं बच्चु प्रसाद का चलता था उस मांग को चालू कराया जाय।

प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रश्नगत भूमि का जांच प्रतिवेदन के मांग करें।


अंचल अधिकारी,
गढ़वा

अभिलेख उपास्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम-पीपरा कला के मांग पंजी-2 पृष्ठ संख्या-71/3 पर बच्चु साव वो शिव प्रसाद साव पिता-सुखी साव सा० गढ़वा के नाम से खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-57 रकबा-0.48 1/2 एकड़ का जमाबंदी दाखिल-खारिज केश संख्या-99/1993-94 के अनुसार मांग खोला गया। उक्त मांगधारियों के द्वारा पूर्व में कई कॉलम भूमि इस होल्डींग से बिक्री किया गया है। बिक्री के बाद कुल रकबा-0.29 1/2 एकड़ भूमि पंजी-2 में बचता है।

इस भूमि पर तत्कालीन अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा पृष्ठ संख्या-71/3 पर चल रहे मांग को Demand Suspended till ~~for the order~~ KC Putup Check Slip लिख कर/-स्थगित कर दिनांक-12.05.1999 को स्थगित कर दिया गया। खरीदी भूमि के अनुसार आवेदकगण अरविन्द कुमार पाण्डेय वो अनिल कुमार पाण्डेय वो संजय कुमार पाण्डेय अन्य का दखल कब्जा एवं मकान अवस्थित है।

अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदको का केवाला नं० 6991 दिनांक-01.09.1998 के द्वारा खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-57 रकबा-0.06 एकड़ भूमि विक्री अरविन्द कुमार पाण्डेय केवाला नं० 3440 दिनांक-01.09.1998 के द्वारा खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-57 रकबा-0.06 एकड़ भूमि अनिल कुमार पाण्डेय एवं केवाला नं० 3278 दिनांक-01.09.1998 के द्वारा खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-57 रकबा-0.06 एकड़ भूमि संजय कुमार पाण्डेय ग्राम-पीपरा कला को प्राप्त है। केवाला के मोताविक मापी एवं स्थल जांच किया। मापी एवं स्थल जांच के क्रम में पाया कि प्लॉट संख्या-57 रकबा-0.18 एकड़ भूमि है, जिसका चौहदी इस प्रकार है - उत्तर- ब्लॉक बाउण्ड्री एवं दिपुआं सिवाना, दक्षिण-पुनम तिवारी वो स्मृति तिवारी, पूरब-विरेंद्र सिंह तथा पश्चिम-अम्बिका सिंह है। उपरोक्त भूमि बिक्रेता शिव साव वो-

-बच्चू राव के नाम से मांग चलता है, जिरा, क्र. 57
समय-स. 14 पर नगर पालिका को भी टैक्स दे रहे हैं जिसमें का. 57
लाल रंग से दर्शाया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक, एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत पाया गया कि राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है। प्रश्न की प्रकृति खतियान की स्थिति, मांग खोलने का प्राधिकार स्पष्ट करने हेतु पुनः उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

24/3/20

अभिलेख उपस्थापित किया गया। कार्यालय सहायक द्वारा विविध वाद संख्या-57/2014-15 के संबंध में लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उप समाहर्ता, भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक-27 दिनांक-17.01.2018 द्वारा विविध वाद संख्या-57/2014-15 का त्रुटि निराकरण हेतु मूल अभिलेख कार्यालय को प्राप्त हुआ था। निदेशानुसार आगत पंजी संख्या-41/30.01.2018 में दर्ज कर लॉकबुक संख्या-22 से दिनांक-02.02.2018 को तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक श्री रण विजय चन्द्रकान्त राय, हल्का संख्या-04 को मूल अभिलेख Recived कराया गया था। उक्त अभिलेख को त्रुटि निरीकरण के पश्चात आज-तक कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। लॉकबुक की छायाप्रति संलग्न है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम-पीपरा कला के खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-57 रकबा-0.48 1/2 एकड़ का जमाबंदी दाखिल-खारिज केश संख्या-99/1993-94 के अनुसार पृष्ठ संख्या-71/3 पर बच्चु प्रसाद वी शिव प्रसाद पिता-सुखी साव के नाम पर खोला गया था। इस जमाबंदी से पूर्व में विभिन्न रैयतों के नाम पर बिक्री के पश्चात नामांतरित होकर रकबा घटाया गया है। वर्तमान में शेष रकबा -0.29 1/2 एकड़ भूमि चल रहा है।

उक्त जमाबंदी को तत्कालीन अंचलधिकारी, गढ़वा के द्वारा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पूर्व अभिलेख विविध वाद संख्या-57/2014-15 की खोज-बीन हल्का कार्यालय में की गई परन्तु प्राप्त नहीं हो सका।

हल्का कार्यालय में ग्राम-पीपरा कला का खतियान बुझारत आदि जीर्ण-शीर्ण होकर फट गया है। खाता संख्या-39 रैयती खाते की है। स्थल जांच के समय उक्त भूमि पर आवेदकगण का घर-बारी अवस्थित है। अंचल अमीन का स्थल भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संलग्न है। उक्त मांग पंजी-2 के पृष्ठ संख्या-71/3 को पुनः चालु करने की अनुशंसा की जाती है।

राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक अनिल कुमार पाण्डेय एवं अन्य तथा बच्चु प्रसाद वी शिव प्रसाद पिता-सुखी साव को नोटिश निर्गत करें।

क्र. 5/8/2020 की 14
DA, Mutation Case No. 99/1993-94 की 5
बिनाकोर प्रस्ताव को।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

5-8-2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभाग एकाग्रता
युक्त सुधारी कार्य से लाभान्वित होने के कारण वाद
की सुनवाई नहीं हो सकी
सुनवाई की सुनवाई दिना. 21.8.2020 को
निराकरण की जायज।

अनुसूची-14 धर्म सं-562


क्र. की संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

21.08.2020

अभिलेख अथवा पत्र!

अश्विन कुमार पाण्डेय अथवा पत्र हैं।

उपरोक्त कर्मचारी के अनुसंधान दिनांक
 01-03-2015 एवं रागस अथवा निरीक्षक श्री नरेश
 कुमार व अथवा निरीक्षक श्री देवी प्रकाश कुमार
 के अनुसंधान दिनांक 23/7/2020 के आलेख
 में अभिलेख अनुसंधान पत्र अथवा पत्र
 अथवा पत्र। अथवा पत्र से अथवा पत्र


 21.8.2020